checkup of all children attending special schools, introduction of appropriate vocational stream in the special schools, proactive role by trade unions in the elimination of child labour and effective enforcement of child labour related laws in the child labour endemic areas.

(c) and (d) Government is committed to the goal of eradication of child labour in all its forms. However, the rehabilitation child labour working in hazardous occupations has been taken up in the first instance. National Child Labour Projects have been set up in the child labour endemic states for the rehabilitation of children working in hazardous' occupations. So far a child labour projects have been set up for the rehabilitation of around 1.5 lakh children. These child labour projects are located in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamilnadu, Uttar Pradesh and West Bengal. As per the available information, around 1.05 lakh children are already enrolled in the special schools under the projects.

System of secret ballot for determining collective bargaining agency

1592. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government had committed through common Minimum Programme that Government for the purpose of determining collective bargaining agency would introduce the system of secret ballot;

(b) if so, the steps taken so far to implement the secret ballot; and

(c) by when Government wishes to complete the process?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Certain Central Trade Union Organisations submitted a memorandum to the Prime Minister urging the Government to frame suitable legislation for recognition of trade unions by Secret Ballot. The issue of determination of the representative character of Trade Unions by Secret Ballot has been referred to the Bipartite Committee constituted by ihe Ministry of Labour and consisting of representatives of employees and workers. Further course of action will depend on the recommendation of the committee.

देश में खनिज संपदा के लिए सर्वेक्षण

1593. **श्री अजीत जोगी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस.आई.) द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान देश में खनिज भंडार की कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज कहां-कहां पाए गए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश में खनिजों की खोज और लाज के लिए विदेशी कंपनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(घ) क्या सरकार बेशकीमती खनिजों के खनन का कार्य भी विदेशी कपंनियों को सौपने का विचार रखती है;

(ड) सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन खनिजों की खोज के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं,

(च) क्या इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौपने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख) : जी हां , खनिजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफ आई पी बी) ने खनन/धातु विज्ञान के क्षेत्र में निवेश के लिए 33 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जिनमें से केन्द्र सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे के लिए 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) तथा खनन पट्टे (एमएल) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके अतंर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। खनिज रियायतें देने के लिए संबधित राज्य सरकारों को आवेदन देने होते हैं जो खनिज रियायत अधिकार देने में सक्षम

हैं । तथापि खान और, खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के बारे में केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है ।

(घ) नई खनिज नीति 1993 तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित किसी कंपनी को बहुमूल्य खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे दिये जा सकते हैं ।

(ड) अगले पांच वर्षो के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

(1) मौजूदा खान क्षेत्रों की गहराईयों में तथा एकदम पास और ज्ञात संभावित खनिज क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाना ।

(2) निवेश संबंधी निर्णय आसान बनाने के लिए सही अनुपात में विभिन्न श्रेणियों के निक्षेपों की स्थापना, तथा

(3) गवेषण कार्य न किये गए उन क्षेत्रों का मूल्यांकन जहां विभिन्न प्रकार के खनिजीकरण के लिए भू-वैज्ञानिक वातावरण अनुकूल हो ।

निम्निलिखत खनिज समूहों के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त गवेषण प्रयासों की आवश्यकता होगी:-

(1) निर्यात योग्य फालतू समूह (लौह अयस्क, बैराइट्स, बाक्साइट, अभ्रक, सोपस्टोन, चीनी मिट्टी, जिप्सम, बीच सैंड, सिलिमेनाइट, गैर-आभूषणीय पत्थर क्रोमाइट, नॉन-फ्लक्स डोलोमाइट, लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड/इत्यादि) के खनिजों का गवेषण ।

(2) आत्मनिर्भर समूह – क्रोमाइट पाइराइट, इल्मेनाइट, स्टाइल, फायरक्ले ।

(3) मर्त्रिनल ग्रुप – मैग्रीज, जिंक फलक्स ग्रेड, चूनापत्थर, मैग्रोसाइट, एम्फीबोल एजबेस्टोस ।

(4) कमी वाला ग्रुप – सीसा, क्राइसोटाइल, एजबेस्टोस, ग्रेफाइट, फ्लोराइट, फासफोराइट।

(5) कम या नगण्य ग्रुप – टंगस्टन, निकिल, एन्टीमोनी, मोलिब्डेनम, बाक्साइट (रिफ्रैक्टरी ग्रेड), प्लैटीनम ग्रुप, कोबाल्ट, पोटास, सल्फर (एलिमेंटल), स्वर्ण तथा हीरा ।

(6) ऊर्जा खनिज – कोयला, लिग्राइट।

(च) नई खनिज नीति के अनुसार सरकार तथा नीजी संस्थाएं इस बारे में मौजूदा अधिनियम/नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार खनिज संसाधनों का विदोहन कर सकती है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पिछले तीन साल के दौरान कोयले तथा लिग्राइट के अनुमानित भंडार कोयला

राज्य	पिछले तीन वर्षो के दौरान निक्षेपों में वृद्धि
पश्चिम बंगाल	1150.06 मि0 टन
बिहार	585.24 मि0 टन
मध्य प्रदेश	1708.43 मि0 टन
उड़ीसा	421.81 मि0 टन
आंध्र प्रदेश	252.00 मि0 टन
कुल	4117.54 मि0 टन

	लिग्नाइट
गुजरात	40 मि0 टन
तमिलनाडु	230.00 मि0 टन
कुल	270.00 मि0 टन

स्वर्ण कर्नाटक	निक्षेप मि0 टन	ग्रेड ग्राम/ टन
(1) हीरा-बुद्धिनी, रायचूर जिला	0.52	11.9 से 16.16
(2) चिनमुलगुंड, धारवाड़ जिला	0.847	4.38
(3) अज्जनहल्ली पश्चिम खंड, टुमकुर जिला	0.38	1.3
(4) अज्जनहाल्ली मैन ब्लाक	0.77	2.76
(5) डी.आर. हल्ली दक्षिण ब्लाक चित्रदुर्गा जिला	0.6	4
(6) नगवी, धारवाड़ जिला	0.065	2.01
(7) काबुलीय तकटटी, धारवाड़ जिला	0.247	1.4 से 4.64

(1.3 से 16.16 ग्राम2/टन के बीच ग्रेड वाला कुल 3.429 मि0 टन स्वर्ण अयस्क)

आंध्र प्रदेश

(1) डोना टैम्पल, कुरनूल जिला	0.4	6
(2) कोथापल्ले खंड, अनंतपुर जिला (क्षेत्र –II का पुनआर्कलन)	0.108	2.83
(3) कुडीथानाबल्ले, चित्तूर जिला	0.48	1.2

(1.2 से 6 ग्राम/टन के बीच ग्रेड वाले कुल 0.988 मि0 टन स्वर्ण अयस्क)

केरल

(1) कप्पिल क्षेत्र मल्लापुरम जिला 0.065 1.75

(1.75 ग्राम/टन के कुल 0.065 मिलियन टन अयस्क)

राजस्थान

(1) आंनदपुरी –भूकिया बासंवाड़ा जिला 0.015 1.75
(10 मि0 तक आक्सीडाइज्ड अयस्क) 1.28
0.98
(100 मी0 तक गहराई)

(1.7 से 1.28 ग्राम/टन के बीच ग्रेड वाले कुल 0.995 एम टी अयस्क)

मध्य प्रदेश

(1) गुरशरपाहड़ वैस्ट सिधि जिला 2.1 1.28
(2) पांडरीपानी क्षेत्र रायगढ़ जिला 0.25

(1.28 ग्राम/टन वाले कुल 2.55 मि0 टन अयस्क)

महाराष्ट्र

(1) पारसोरी वैस्ट ब्लॉक नागुपर जिला 0.17 5.137
(5.137 ग्राम/टन अंश के कुल 0.17 मि0 टन अयस्क)

हीरा

आंध्र प्रदेश	(1) वैंकटामपल्ली पाइप – 7 अनंतपुर जिला	30 मीटर गहराई तक 21270 कैरेट हीरा निक्षेप, 7.89 कैरेट/100 टन हीरे की संभावना
	(2) कोल्लुरू बोडानाम नदी ग्रेवल्स	कोलुवियल ग्रेवल में 18,903 के हीरों संसाधन। 0.58/100 टन हीरा संभावना।

मोलिबडेनम

बेल्लामपट्टी साउथ तथा केन्द्रीय खंड धरमपुरी जिला	0.05 से 0.116% एम ओ के बीच ग्रेड वाले 3.38 मि0 टन मोलिब्डेनम अयस्क के इंटिकेटिड तथा इनफर्ड निक्षेप।

पी जी ई

क्योंझर जिले की बाउला – नौसा ही पट्टी में पीजी ई खनिजीकरण का आकलन जारी है। 500 मीटर प्रहार सीमा (स्ट्राइक लैग्थ) तक निक्षेपों के आकलन के लिए खुदाई की जा रही है। कूप नमूनों में 3.2 पीपीएम तक पीजी ई अंश है।

सीसा-जस्ता-तांखा

(1) राजस्थान केराजसांद जिले की दरीबा बेटहुमनी पट्टी के उत्तरी सिटेंसर रिज खंड में 1.07% सीसा और 2.42% जस्ता वाले 4.28 मिलियन टन अयस्क निक्षेपों का अनुमान है।

(2) राजस्थान के राजसमंद जिले के दक्षिण सिंदेसर रिज में "सी" सब ब्लॉक में 400 मी. की प्रहार सीमा (स्ट्राइक लैंग्थ) में 2.35% सीसा + जस्ता औसत वाले 1.10 मि0 टन अयस्क।

(3) उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के अमतीयारगड़ खंड में 6.63% सीसी+जस्ता वाले 1.45 मि0 टन अयस्क का अनुमान है।

(4) बिहार की हेसात बेलबाधन पट्टी के पिंडारा खंड में 3.93% सीसा+जस्ता+सीयू वाले 0.43 मि0 टन पोलिमैटलिक अयस्क का अनुमान है।

(5) दरीबा (अकोला) ताम्र परियोजना लोटे-लें, राजस्थान में एम किमी प्रहार सीमा (स्ट्राइकलैग्थ) तथा 6 मी0 औसत चौड़ाई वाले क्षेत्र में 0.5% सीयू अंश वाले 0.8% औसत ग्रेड सीयू सहित 2.0 मि0 टन ताम्र अयस्क का अनुमान लगाया गया।

(6) महाराष्ट्र के भंडारा जिले के गरारा खंड में 0.5% सीयू कट आफ कर 1.2% सीयू औसत ग्रेड के 0.7 मि0 टन सीयू अयस्क का उपखंड ए (पश्चिमी भाग) तथा उपखंड बी (केन्द्रीय भाग) में पता चला है।

(7) मध्य प्रदेश के बेतुल जिल के बन्सखापा-पिपरिया खंड में 1.66% सीयू तथा 8.6% जस्ते वाले 7.38 मी0 सधन खनिजीकृत क्षेत्र का पता चला है।

मैगनीज

(8) उड़ीसा की बोनाई-केयोन्झार क्षेत्र में 20% मैगनीज अंश वाले 7.34 मी0 टन मैगनीज अयस्क के अतिरिक्त भंडार का अनुमान लगाया गया है जिससे इस क्षेत्र का कुल भंडार 22.82 मी0 टन हो गया।

(9) उड़ीसा के कोरापूट जिले के कुटिंगा ब्लाक में

मैगनीज अंश वाले 0.20 मी0 टन मैगनीज अयस्क का पता चला है ।

(10) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के उक्वा क्षेत्र में 2.17 मी0 टन मध्यम ग्रेड के मैगनीज अयस्क का अनुमान है ।

उर्वरक खनिज

(11) पश्चिम बगांल के पुरूलिया जिले के दक्षिण पुरूलिया शीयर क्षेत्र के पूर्वाहा ब्लाक में (7.76) पी2 O5 सहित 5% पी2 ओ5 अंश वाला 0.74 मी0 टन एपेटाइट का संभावित भंडार ।

चूना पत्थर

(12) मेघालय के जैनतिया पहाड़ियों की लितांग नदी घाटी में अधिकाशं एल्डी, रासायनिक और एसएमएस ग्रेडों के 2265 मी0 टन उत्कृष्ट ग्रेड का चूना पत्थर ।

मिट्टी

(13) केरल के कोलाम, कासरगाद और तिरूवंतपुरम जिलों के 70 संभावित ब्लाकों में 40% प्राप्ति क्षमता वाली 2000 मी0 टन अच्छी प्रकार की चीनी मिट्टी के संभावित संसाधन ।

क्वार्टजाइट

(14) अरूणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में कालाकतांग क्षेत्र के समीप 3130 मी0 टन रिफ्लेक्टरी / फाउन्ड्री ग्रेड क्लावर्टजाइट का अनुमान लगाया गया ।

हाइमेंशनल स्टोन

डाइमेंशन स्टोन संबंधी संसाधन सर्वेक्षण के बारे में कार्ययोजना के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के 16 राज्यों में आयामी पत्थरों के लिए विस्तृत अंवेषण किए ।

(15) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, बंकुरा और बीरमून जिलों के पता लगाए गए आठ ब्लाकों में 10 मी0 की गहराई तक 1.46 मिलियन एम3 ग्रेनाइट का अनुमान लगाया गया ।

(16) उड़ीसा के पुरी, काटक और केयोन्झार जिलों में 6 मी0 की गहराई तक 1.0 मिलियन एम3 ग्रेनाइट का अनुमान लगाया गया है ।

(17) उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी और हमीरपुर जिलों में फैले 73 संभावित ब्लाकों में 20 मी0 की गहराई तक 35 मिलियन एम3 ग्रेनाइट ।

Status of Granite Exploration in the Country

1594. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the status of granite exploration in the country is not satisfactory and as a result thereof the granite exports could touch only Rs. 1024 crores in 1995-96;

(b) whether Government have received any suggestion from the Granite Development Council and if so, the details thereof; and

(c) the details of action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) Granite has been traditionally a minor mineral as per the provisions of Section 3(e) of the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act, 1957, grant of its mineral concessions is regulated by Rules framed by different State Governments. The Central Government has constituted a Granite Development Council under the Chairmanship of Secretary (Mines) with representatives of the state Governments, Granite Industry, Geological Survey of India and the Indian Bureau of Mines etc. The Council had constituted a Sub-Group to look into tne issues related to development of Granite in the Country. Report of the Sub-Group on Granite Development has been presented to the Granite Development Council and the Conference of the State Ministers/ Secretaries of Mining and Geology in December, 1996. Further in view of the importance that Granite has assumed in the recent years, and action plan for assessing deposits in the country Has been drawn up by the Geological Survey of India and Geological Survey of India has already taken up investigations in 15 States.

India granite is well accepted in the international market and the export value